न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2672–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–7–15 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राघोगढ़ जिला गुना प्रकरण कमांक 1/अपील/14–15.

मुकेश कुमार मीना पुत्र अमर सिंह मीना
निवासी ग्राम अजरोडा
तहसील राघेगढ़ जिला गुना ..... आवेदक

विरूद्ध

1– भूपेन्द्र सिंह पुत्र बसन्त सिंह
2– बालकरण सिंह पुत्र बसन्त सिंह (मृत) द्वारा वारिसान–
(1) बलविन्दर कौर पत्नी स्व. बालकरण सिंह
(2) गगनदीप कौर पुत्री स्व. बालकरण सिंह
3– सुरेन्द्र सिंह पुत्र बसन्त सिंह
4– बृजेन्द्रपाल सिंह पुत्र बसन्त सिंह
5– बृजेन्द्र कौर पुत्री बसन्त सिंह
निवासीगण ग्राम रूठियाई
तहसील राघोगढ़ जिला गुना
6– म0प्र0 शासन .....अनावेदकगण

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अभिभाषक अनावेदक क. 1 से 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/11/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, राघोगढ़ जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–7–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 द्वारा तहसीलदार, राघोगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–7–08 के विरूद्ध अनुविभागीय

अधिकारी, राघोगढ़ जिला गुना के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 1–10–14 को 5 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अपील/14–15 दर्ज कर दिनांक 9–7–15 को आदेश पारित कर विलम्ब क्षमा करते हुए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण सूचना उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए हैं, अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । इस आधार पर कहा गया कि जब कोई पक्षकार सूचना के उपरान्त भी अनुपस्थित रहता है, तब समयावधि की गणना जानकारी के दिनांक से नहीं की जाकर आदेश के दिनांक से की जाती है । इस वैधानिक बिन्दु पर बिना ध्यान दिये विलम्ब क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि विलम्ब क्षमा करने हेतु पर्याप्त कारणों का उल्लेख करते हुए सकारण आदेश पारित किया जाना चाहिए, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश में समुचित कारण नहीं दर्शाया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की गई है ।

3/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, अर्थात आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 7–7–08 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रकरण दिनांक 2–6–08 को दर्ज किया गया है, इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतः अवैधानिक होकर संदिग्ध है । यह भी कहा गया कि आवेदन पत्र पर प्रस्तुति दिनांक का कोई उल्लेख नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा बिना अनावेदकगण को सूचना दिये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, जो कि अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के गलत पते पर सूचना पत्र जारी किया गया है, जो

कि उन पर तामील नहीं हुआ है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय को 3 बार सूचना पत्र जारी करना चाहिए था, जो नहीं की गई है ।

प्रत्युत्तर में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीन बार सूचना पत्र जारी किये जाने का कोई प्रावधान हीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक का कब्जा दर्ज करने संबंधी आदेश पारित करने में अनावेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । तहसीलदार के प्रकरण में अनावेदकगण को जारी सूचना पत्र की तामीली होना भी संदिग्ध है, क्योंकि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत तामील नहीं कराई गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, राघोगढ़ जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–7–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर